भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 05/2015–2020
दिनांकः 13 मई, 2022

विषयः प्याज के बीजों की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्याज़ के बीजों के निर्यात से संबंधित **अधिसूचना सं. 43/2015–20 दिनांक 29.10.2020** में निम्नानुसार संशोधन करती है:

क्र. स.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	वर्तमान नीति	**संशोधित नीति**
73	12099130	प्याज के बीज	निषिद्ध	**प्रतिबंधित**

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

प्याज के बीजों की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में रख दिया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
13.5.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/180/923/एएम–21/ईसी/ई–23941 से जारी)